(d) by when these schemes are likely to be completed, the district-wise details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The Central Government have not formulated any scheme for water supply for the State of Gujarat with the assistance of LIC or any other financial institutions. Such schemes are finalised directly by State Government and this does not require approval of the Ministry of Rural Development for rural water supply schemes. However, schemes for assistance of more than Rs. 10.00 crores are required to be sent to the Ministry of Urban Development for technical approval. No such proposal has been received from the State Government of Gujarat.

(b) to (d) Do not arise.

उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को कृषि भूमि का आवंटन

7089. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों की जिला-वार संख्या कितनी है, जिन्हें गत वर्ष के दौरान कृषि भूमि का आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान भूमि धारकों के नाम पंजीकृत करके उन्हें काश्तकारी के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है, जैसे ही वह प्राप्त हो जाएगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Employment under JJR.Y.

7090. MISS SAROI KHAPARDE:
SHRI AHMED MOHAMEDBHAl PATEL:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the record of the number of persons who actually got employed under Jawahar Rozgar Yojana was not maintained at any level;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the women's share of mandays of employment generated remained 22 to 25 per cent upto the District level and at IS to 18 per cent at the Gram Panchayat level; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR); (a) and (b) No, Sir. Though: Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is a self-largetting programme, the number of persons who are provided employment aft the peop'e below the peverty line and the record of number of such persons who got employment is available with the implementing agencies, namely, the District Rural Development Agencies (DRDAs) and the Village Panchayats.

(c) and (d) According to the reports received from the State Governments, the share of women in the total employment generated under JRY has been around 24 per cent. No separate details on the" sham of wome in the mandays of eaploy-

ment generated at the district and village levels are maintained at the Government of India level.

To give adequate coverage to women under employment generation, 30 per cent employment opportunities under JRY have been earmarked for women. However, to some extent, due to social taboos or preference of a family to send male member for manual work, the required number of women workers do not report for JRY works in some States.

नई पंचायती राज प्रणाली के अधीन चुनाव

7091. श्री रामजी लाल :
श्री येरा नारायणा स्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के लिये संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियम के बाद छः माह की अवधि के भीतर पंचायती राज निकायों के चुनाव कराना अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को अपने-अपने राज्य के पंचायत निर्वाचन आयोग के माध्यम से नयी पंचायत प्रणाली (त्रि-स्तरीय) के लिये सभी राज्यों में चुनाव कराने की सलाह दी है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में नयी पंचायत प्रणाली स्थापित कर दी गई है ;

(घ) किन-किन राज्यों में यह प्रणाली अब तक स्थापित नहीं की गई है ;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(छ) पंचायत चुनाव कराने के लिये हरियाणा राज्य को वर्ष 1994-95 के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पंचायती राज के संबंध में राज्य कानून बनाये जाने के पश्चात् धारा 243 बी (1), 243ई (3) तथा 243(4) के साथ पठित राज्य अधिनियम में इस आशय हेतु किये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवा सकते हैं ।

(ख) भारत सरकार ने सभी राज्यों को सूचित किया है कि पंचायती राज कानूनों में परिवर्तन करने के पश्चात राज्यों को जहां कहीं चुनाव कराये जाने अपेक्षित हैं, वहां पर चुनाव कराने होंगे ।

(ग) से (ङ) सभी राज्यों ने अपने राज्य अधिनियमों को संविधान (73वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरुप बनाने के लिये कानून बना लिये हैं, जिसके पश्चात् राज्यों द्वारा तदनुसार आगे कदम उठाये जायेंगे ।

(च) और (छ) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इस प्रयोजन हेतु राज्यों को निधियां स्वीकृत करने के लिये भारत सरकार की कोई योजना नहीं है ।

JRY Gran's in Andhra Pradesh

7092. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government reduced J.R.Y. grants to Andhra Pradesh;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether the Andhra Pradesh Government has directed the J.R.Y. fund, to other purposes;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL